न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
474/2018	दावा 88, 53 RTA	14.09.2018	26.04.2019

1. विमलाकंवर पत्नी स्व. भंवरसिंह उर्फ भंवरा जाति रावणा राजपूत निवासी गांव सोमासी तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. नेमूकंवर पुत्री स्व. भंवरसिंह उर्फ भंवरा जाति रावणा राजपूत निवासी गांव सोमासी तहसील व जिला चूरू (राज.)

—वादीगण—

बनाम

1. नारायण पुत्र बिड़दाराम
2. रामकुमार पुत्र बिडदाराम
3. हड़मान पुत्र बिड़दाराम
4. शारदाकंवर पत्नी लिछमण
5. मुकेशकंवर पुत्री लिछमण
6. उच्छवकंवर पुत्री लिछमण
7. कुसुमकंवर पुत्री लिछमण
8. किरणकंवर पुत्री लिछमण
9. धापाकंवर पुत्री लिछमण
10. मैनाकंवर पुत्री लिछमण
11. सरोजकंवर पुत्री लिछमण

जाति रावणा राजपूत निवासी गांव सोमासी

तहसील व जिला चूरू (राज.)

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू

—प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए.

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री आनन्द बालाण वादीगण
2. पैरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

वादीगण की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 11 स्व. बिड़दसिंह के वारिसान हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण के आपसी सम्बन्ध अच्छी तरह से समझने हेतु वंशावली निम्नानुसार है:—

स्व. बिड़दसिंह के वारिसान में लिछमणसिंह, नारायणसिंह, भंवरा उर्फ भंवरसिंह, रामकुमार, हड़मान उर्फ हड़मानसिंह पुत्रगण हैं जिनमें से लिछमणसिंह व भंवरा उर्फ भंवरसिंह फौत हो चुके हैं। स्व. लिछमणसिंह के वारिसान में शारदाकंवर पत्नी, मुकेशकंवर, उच्छवकंवर, कुसुमकंवर, किरणकंवर, धापाकंवर, मैनाकंवर, सरोजकंवर पुत्रिया मौजूद हैं। स्व. भंवरसिंह के वारिसान में विमलाकंवर पत्नी मौजूद, भंगवानसिंह पुत्र जो सोहनकंवर के गोद चला गया, प्रभूसिंह पुत्र लाऔलाद फौत एवं नेमूकंवर पुत्री मौजूद हैं।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

यह कि यह कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 13 तादादी 4.2745 हैक्टेयर, 43 तादादी 7.8914 हैक्टेयर, रोही ग्राम सोमासी तहसील व जिला चूरू व खसरा नम्बर 291 तादादी 2.7822 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 306 तादादी 2.5925 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम आसलखेड़ी तहसील व जिला चूरू में स्थित है जो वादीगण के पूर्वज स्व. बिड़दसिंह के खातेदारी, काश्तकारी की थी, स्व. बिड़दसिंह का स्वर्गवास हो चुका है, उनके वारिसान में उनके पांच पुत्र लक्ष्मणसिंह, नारायण उर्फ नारायणसिंह, भंवरा उर्फ भंवरसिंह, रामकुमार व हनुमान उर्फ हनुमानसिंह थे जिनमें से लक्ष्मणसिंह व भंवरा उर्फ भंवरसिंह का स्वर्गवास हो चुका है व वर्तमान में यह कृषि भूमि लक्ष्मणसिंह के वारिसान प्रतिवादी सं. 4 से 11 व नारायण पुत्र बिड़दसिंह उर्फ बिड़दाराम, भंवरा उर्फ भंवरसिंह, रामकुमार एवं हनुमान उर्फ हनुमानसिंह पुत्रगण स्व. बिड़दसिंह उर्फ बिड़दाराम व स्व लक्ष्मणसिंह के वारिसान प्रतिवादी सं. 4 से 11 के नाम से खातेदारी में दर्ज है व भंवरा उर्फ भंवरसिंह के नाम भी 1/5 हिस्सा की खातेदारी में दर्ज है। यह कि उपर वर्णित संयुक्त खातेदारी की भूमि 1/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार भंवरा उर्फ भंवरसिंह पुत्र स्व. बिड़दसिंह उर्फ बिड़दाराम था, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। भंवरा उर्फ भंवरसिंह का पुत्र भगवानसिंह उनके जीवनकाल में ही स्व. श्रीमती सोहनदेवी के 3 वर्ष की आयु में गोद चला गया था व प्रभूसिंह लाऔलाद फौत हो गया, इसलिए भंवरा उर्फ भंवरसिंह के एकमात्र वारिसान वादीगण हैं, जो उपर वर्णित दावा की मद संख्या 2 की कृषि भूमि में से स्व. भंवरा उर्फ भंवरसिंह के 1/5 हिस्सा खातेदारी की कृषि भूमि की वादीगण एकमात्र खातेदार, काश्तकार हैं जिसकी घोषणा कराने की वादीगण अधिकारी हैं। यह कि उपर वर्णित कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 11 की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की है व वादीगण 1/5 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं। सभी खातेदार काश्तकार अपनी अपनी हिस्सा की कृषि भूमि को मौका पर आपसी समझौता से अलग अलग काश्त करते हैं, लेकिन राजस्व रिकार्ड में खातेदारी संयुक्त होने से आपस में सीमाओं का विवाद रहता है, इसलिए वादीगण अपने 1/5 हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि का मौका पर मापतौल कर विभाजन करवा कर अलग लगान सहित कायम करवाना चाहते हैं, जिसके वादीगण अधिकारी हैं।

यह कि उपर वर्णित कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी में होने के कारण खातेदारों में आपस में लूग, पाला व सींव आदि को लेकर मनमुटाव रहता है। जिसके कारण कई बार झगडे जैसी स्थिति भी आ जाती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए वादीगण अपने हिस्से की कृषि भूमि का खाता विभाजन करवाना चाहती हैं। यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण को कहा व कहलवाया कि वे वादीगण को उनके हिस्से की कृषि भूमि का खाता विभाजन करवा देवें परन्तु प्रतिवादीगण टालमटोल करते रहे हैं तथा अन्त में दिनांक 05.09.2018 को ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये। लिहाजा यही तारीख बिनाय मुखासमत दावा है तथा वादीगण खातेदार काश्तकार होने से दावाधिकार हासिल है। यह कि तहसीलदार महोदय को तकमीलन पक्षकार बनाया गया है जिससे उसके हितों पर विपरीत प्रभाव पड़े। इसलिए बिना दफा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिये ही यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि विवादित कृषि भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित आसलखेड़ी व सोमासी तहसील व जिला चूरू में स्थित होने से श्रवणाधिकार प्राप्त हैं तथा दावा उचित कोर्ट फीस पर हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः दावा हाजा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादिनी खिलाफ प्रतिवादीगण नीचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावे:-

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

(क) घोषित किया जावे कि खसरा नम्बर 13 तादादी 4.2745 हैक्टेयर, 43 तादादी 7.8914 हैक्टेयर रोही ग्राम सोमासी तहसील व जिला चूरू व खसरा नम्बर 291 तादादी 2.7822 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 306 तादादी 2.5925 वाके रोही ग्राम आसलखेड़ी तहसील व जिला चूरू में वादीगण स्व. भंवरसिंह उर्फ भंवरा के वारिस होने के कारण खातेदार काश्तकार हैं व भंवरा उर्फ भंवरसिंह पुत्र बिड़दाराम उर्फ बिड़दसिंह के स्थान पर उनके 1/5 हिस्से पर उनका अंकन किया जाकर उन्हें 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

(ख) घोषित किया जावे कि जमाबन्दी में स्व. भंवरसिंह उर्फ भंवरा का नाम हटाकर उसके हिस्से की कृषि भूमि की खातेदारी वादीगण सं. 01 ता 02 के नाम पर किया जावे।

(ग) यह कि खसरा नम्बर 13 तादादी 4.2745 हैक्टेयर, 43 तादादी 7.8914 हैक्टेयर रोही ग्राम सोमासी तहसील व जिला चूरू व खसरा नम्बर 291 तादादी 2.7822 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 306 तादादी 2.5925 वाके रोही ग्राम आसलखेड़ी तहसील व जिला चूरू में वादीगण के 1/5 हिस्सा का खाता विभाजन बाहमी बंटवारा के अनुसार कर अलग खाता व लगान कायम किया जावे।

(घ) यह कि खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(ड़) अन्य कोई अनुतोष जो हितकर वादीगण हो या दौराने सुनवाई हो जावे, वो भी वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी सं. 1 से 11 के विधिवत तामील के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर न्यायालय समय में बार–बार आवाजें लगाई गईं परन्तु बिना कोई उचित कारण के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। साक्ष्यवादी में गवाह विमलाकंवर व नेमूकंवर ने उपस्थित होकर साक्ष्य शपथ पत्र PW-1 से PW-2 पेश किये जिनके बयान लेखबद्ध किये गये। प्रतिवादीगण पर एकपक्षीय कार्यवाही होने से जिरह शून्य रही। वादी ने अपनी साक्ष्य समाप्त की। वकील वादीगण ने कथन किया कि हम साक्ष्य नहीं कराना चाहते इस पर साक्ष्य दादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत रखी गई।

दावा पर वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादगत कृषि भूमि में वादीगण के पति व पिता भंवरा उर्फ भंवरसिंह के नाम 1/5 हिस्सा खातेदारी व काश्तकारी का दर्ज है जिनका स्वर्गवस हो चुका है। स्व. भवरसिंह के वारिसान में विमलांकवर पत्नी व नेमूकंवर पुत्री मौजूद हैं जो वादीगण हैं तथा स्व. भवरसिंह का एक पुत्र भगवानसिंह था जो सोहनकंवर के गोद चला गया जिसका पंजीकृत गोदनामा दावा के साथ पेश किया गया है। स्व. भवरसिंह का दूसरा पुत्र प्रभूसिंह लाऔलाद फौत हो चुका है। इस प्रकार वादगत कृषि भूमि में स्व. भवरसिंह के 1/5 हिस्सा के एकमात्र खातेदार काश्तकार वादीगण हैं। हमने वादगत कृषि भूमि के समस्त खातेदारों को पक्षकार बनाया है जिन पर विधिवत तामील हुई है परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए हैं जिससे उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। हमने साक्ष्यवादी से अपने दावा में अंकित तथ्यों को प्रमाणित कराया है। अतः दावा स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

दावा में बहस सुनी जाकर पत्रावली एवं पेश दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं चिन्तन मनन किया गया। प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ग्राम आसलखेड़ी के ख.नं. 291, 306 कुल तादादी 5.3747 हैक्टेयर में वादीगण के पति व पिता भंवरा पुत्र बिड़दसिंह का 1/5 हिस्सा के साथ प्रतिवादी सं. 1 से 11 की संयुक्त खातेदारी अंकित है। प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम सोमासी के ख.नं. 13, 43 कुल तादादी 12.1659 हैक्टेयर में वादीगण के पति व पिता भंवरा पुत्र बिड़दाराम का 1/5 हिस्सा के साथ प्रतिवादी सं. 1 से 11 की संयुक्त खातेदारी अंकित है। प्रदर्श–3 मृत्यु प्रमाण पत्र भंवरसिंह पुत्र बिड़दूसिंह दिनांक 24.07.2018 के अनुसार भंवरसिंह की मृत्यु दिनांक 22.03.2018 को होना दर्ज है। प्रदर्श–4 मृत्यु प्रमाण पत्र प्रभूसिंह पुत्र भंवरसिंह दिनांक 25.10.2017 के अनुसार प्रभूसिंह की मृत्यु दिनांक 21.10.2017 को होना दर्ज है। प्रदर्श–5 गोद पत्र दिनांक 27.10.2006 के अनुसार श्रीमती सोहनकंवर पुत्री बिड़दूसिंह निवासिनी ग्राम सोमासी गोद लेने वाली माता ने भंवरसिंह पुत्र बिड़दूसिंह निवासी ग्राम सोमासी गोद देने वाले पिता के पुत्र भगवन्तसिंह पुत्र भंवरसिंह निवासी सोमासी को 27 वर्ष पूर्व अपनी गोद में बैठाकर दत्तक पुत्र बना लिया एवं समस्त समुदाय के व्यक्तियों को बुलाकर, गीत गुवाकर गुड़ भी बंटवा दिया एवं गोद की समस्त रस्म सम्पन्न कर दी गई परन्तु विधिवत गोदपत्र पंजीयन नहीं करवाया गया था। यह कि गोद लेने वाली माता सोहनकंवर ने गोद देने वाले पिता भंवरसिंह से भगवन्तसिंह के पक्ष में विधिवत गोद पत्र पंजीयन कराने की इच्छा जाहिर की तो गोद देने वाला पिता भी इसके लिए पूर्ण सहमत हो गया एवं गोद देने वाले पिता ने अपनी स्वीकृति अथवा मंजूरी इस गोद पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निशान अंगुस्त कर प्रदान की है। गोद देने वाले पिता की धर्मपत्नी श्रीमती विद्यादेवी का देहान्त हो चुका है। गोद आने वाला पुत्र भगवन्तसिंह गोद आने के पूर्ण सहमत है एवं उसने भी अपनी सहमति अथवा मंजूरी इस गोद पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर प्रदान की है। गोद आने वाले पुत्र भगवन्तसिंह की धर्मपत्नी श्रीमती मंजूदेवी भी भगवन्तसिंह को गोद लिये जाने बाबत पूर्ण सहमत है उसने भी अपनी स्वीकृति अथवा मंजूरी इस गोद पत्र के अन्तिम पृष्ठ पर हस्ताक्षा कर प्रदान की है। उक्त गोद पत्र पर सभी पक्षकारों के साथ दो गवाहों के हस्ताक्षर अंकित हैं तथा गोद पत्र उप पंजीयक चूरू द्वारा पंजीकृत है। वादीगण द्वारा पेश गवाहों ने अपने बयानात से गवाहों ने दावा में अंकित तथ्यों एवं पेश दस्तावेजों को प्रमाणित कराया है।

पत्रावली एवं दस्तावेजों के अवलोकन से यह परिलक्षित है कि वादगत कृषि भूमि वादीगण के पिता व पति एवम् प्रतिवादी सं. 1 से 11 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमियों में 1/5 हिस्से के खातेदार भंवरा उर्फ भंवरसिंह का स्वर्गवास हो चुका है। स्व. भंवरसिंह के वारिसान वादीगण एवं दो पुत्र भगवानसिंह व प्रभूसिंह हुए जिनमें से एक पुत्र भगवानसिंह उर्फ भगवन्तसिंह अपने पिता के जीवनकाल में ही अपनी सगी बुआ सोहनकंवर के गोद चला गया जिसका पंजीकृत गोदनामा पत्रावली पर पेश किया गया है, जिससे उक्त भूमि में उसका कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा है तथा दूसरा पुत्र प्रभूसिंह लाऔलाद फौत हो चुका है। वादीगण ने अपने दावा में वादगत कृषि भूमि के समस्त खातेदारों को पक्षकार बनाया है परन्तु वे विधिवत तामील के बावजूद ना तो उपस्थित हुए हैं एवं ना ही दावा के विरोध में कोई साक्ष्य पेश किया है। इस प्रकार स्व. भंवरसिंह के पुत्र भगवानसिंह के गोद चले जाने एवं प्रभूसिंह के लाऔलाद फौत हो जाने से स्व. भंवरसिंह के 1/5 हिस्से के एकमात्र जायज वारिसान एवं उत्तराधिकारी वादिनीगण ही शेष रहे हैं। इसलिए वादीगण स्व. भंवरसिंह के 1/5 हिस्से के एकमात्र वारिस होने से उक्त 1/5 हिस्से की खातेदारी अपने नाम से घोषित करवा कर खातेदारी में दर्ज करवाने एवं घोषणा के अनुरूप अपने 1/5 हिस्से का खाता विभाजन करवा

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

कर अलग खाता व लगान कायम करवाने की अधिकारी हैं एवं दावा वादीगण उचित होने से स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 13 तादादी 4.2745 हैक्टेयर, 43 तादादी 7.8914 हैक्टेयर रोही ग्राम सोमासी तहसील व जिला चूरू व खसरा नम्बर 291 तादादी 2.7822 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 306 तादादी 2.5925 वाके रोही ग्राम आसलखेड़ी तहसील व जिला चूरू में दर्ज खातेदार भंवरा पुत्र बिड़दसिंह उर्फ बिड़दाराम 1/5 हिस्सा के स्थान पर वादीगण को 1/5 हिस्सा ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर भंवरा पुत्र बिड़दसिंह उर्फ बिड़दाराम का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाने का आदेश दिया जाता है तथा घोषणा के अनुरूप वादीगण का खाता विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि डिक्री के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार कर मय नक्शा दो प्रतियों में भिजवायें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। प्रारम्भिक डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

प्रारम्भिक डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

1. विमलाकंवर पत्नी स्व. भंवरसिंह उर्फ भंवरा जाति रावणा राजपूत निवासी गांव सोमासी तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. नेमूकंवर पुत्री स्व. भंवरसिंह उर्फ भंवरा जाति रावणा राजपूत निवासी गांव सोमासी तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादीगण–

बनाम

1. नारायण पुत्र बिड़दाराम
2. रामकुमार पुत्र बिडदाराम
3. हड़मान पुत्र बिड़दाराम
4. शारदाकंवर पत्नी लिछमण
5. मुकेशकंवर पुत्री लिछमण
6. उच्छवकंवर पुत्री लिछमण
7. कुसुमकंवर पुत्री लिछमण
8. किरणकंवर पुत्री लिछमण
9. धापाकंवर पुत्री लिछमण
10. मैनाकंवर पुत्री लिछमण

जाति रावणा राजपूत निवासी गांव सोमासी

तहसील व जिला चूरू (राज.)

11. सरोजकंवर पुत्री लिछमण
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 474/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री आनन्द बालाण एडवोकेट मिनजानिब मुदईब व मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 13 तादादी 4.2745 हैक्टेयर, 43 तादादी 7.8914 हैक्टेयर रोही ग्राम सोमासी तहसील व जिला चूरू व खसरा नम्बर 291 तादादी 2.7822 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 306 तादादी 2.5925 वाके रोही ग्राम आसलखेड़ी तहसील व जिला चूरू में दर्ज खातेदार भंवरा पुत्र बिड़दसिंह उर्फ बिड़दाराम 1/5 हिस्सा के स्थान पर वादीगण को 1/5 हिस्सा ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर भंवरा पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

बिड़दसिंह उर्फ बिड़दाराम का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाने का आदेश दिया जाता है तथा घोषणा के अनुरूप वादीगण का खाता विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि डिक्री के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार कर मय नक्शा दो प्रतियों में भिजवायें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 26 माह अप्रेल सन् 2019 को जारी की गई।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू